

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
CIN No. L40101DL1989GOI038121



उत्तरी क्षेत्र, मुख्यालय, एम. सी. ओ 10-5, सेक्टर-16-ए, फरीदाबाद (हरियाणा) 121002-
Northern Region-1 Headquarters, SCO - Bay No.5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

Ref: POWERGRID/NR-I/RTI/1869

Dt.: 27.07.2020

To

Shri Dhansingh Rawat
S/o Late Inder Singh Rawat,
Gram -Aagar, Distt. Tehrigarh (Mobile No.9456148749)

Subject: Regarding information to RTI application Dt.08.06.2020.

Sir,

This has reference to your RTI application Dt.08.06.2020, received in POWERGRID Koteshwar Office on 18.06.2020. The Said RTI application received in the office of undersigned on 24.06.2020 through mail. Vide your RTI application you have sought information under RTI Act-2005 which is pointwise mentioned below:

- 1.Information to Point No.1:**An Amount of Rs.64,096/- (Rupees Sixty Four Thousand and Ninety Six) has been paid to Shri Chatar Singh Rawat S/o Shri Baadar Singh Rawat, Village-Aagar, Tehsil-Narendranagar, District-Tehri Garhwal towards House compensation. Copy of Cheque and receipt of the same is not traceable in our record as compensation amount has been paid long back in the year 2003 during the construction of 765 KV Koteshwar-Meerut-II line.
- 2.Information to Point No.2:** Terms and conditions regarding payment of house compensation are mentioned in the Notice issued to Shri Chatar Singh Rawat S/o Shri Baadar Singh Rawat. Copy of Notice issued to Shri Chatar Singh Rawat is attached.
- 3. Information to Point No.3:**No compensation is paid to Shri Baadar Singh Rawat S/o Shri Juppal Singh.
- 4.Information to Point No.4:**House of Shri Chatar Singh Rawat S/o Shri Baadar Singh Rawat could not be vacated due to resistance from local Villagers. The matter was deliberated with the local administration but to no avail. Several discussions were had with the local administration concerning the said matter. A letter as late as 21.07.2020 of this year had also been sent to the local administration by site. Copy enclosed.

Details of First Appellate Authority
Shri D.K.Singh,

Executive Director(NR-I), First Appellate Authority,
Power Grid Corporation of India Ltd., Northern Region -I, HQ
SCO-5-10, Sector-16A, Faridabad (Haryana)-121002
Phone No.0129-2666301

Please acknowledge the receipt of the same.
Thanking you.

Yours faithfully,

[R.Nagpal]

Chief General Manager (PESM)
Designated CPIO, NR-I, POWERGRID,
Faridabad-121102 Phone No.0129-2666303

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

उ० क्षेत्र-1, गंगा बेनी परिष्ठाण परियोजना
 प्रगतिपुरम्, चारपास रोड, गादि-पिन-249 201
 जिला देहरादून (उत्तरांचल), दूरभाष-135) 432449

क्रमांक-135

दिनांक-12-12-2011

संख्या : जी०पी०टी०पी०/च०वि/सर्किट-0/970

श्री/श्रीमती-श्री. प्रमोद सिंह

पुत्र/पत्नी, श्री-श्री. रवि

ग्राम-श्री. गढ़-पोस्ट-श्री. गढ़

तहसील-श्री. गढ़-जिला-श्री. गढ़

800 के.वी. टिहरी-मेरठ सर्किट-प्रथम एवं द्वितीय के मार्ग में पढ़ने वाले मकान इत्यादि के हटाने के सम्बन्ध में।

प्र/महोदय,

इस पत्र को माध्यम से आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन भारत सरकार विद्युत मंत्रालय का उद्यम था एक अति उच्च वोल्टेज (800 के.वी.) की टिहरी-मेरठ प्रथम एवं द्वितीय सर्किट के निर्माण में संलग्न है। विद्युत तन्त्रियों के अधीन एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि लाइन के मार्ग में पढ़ने वाले मकान हटा दिए जाएं।

सर्वे कार्य के बाद यह पाया गया है कि आपका मकान जितना चिह्न नीचे दिख गया है, लाइन के मार्ग में आ है। अतः आपसे निवेदन है कि यूपथा आपके मकान जिसे (X) निशान लगा दिया गया है, शीघ्राधिकार हटाने प्रपन्ध करें।

क्रमांक	टावर लोकेशन नं०	मकान का विवरण	अन्य विवरण
10/6	116/6		<p>श्री. प्रमोद सिंह</p> <p>श्री. रवि</p>

हस्ताक्षर

- विनियम - आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु
1. जिलाधिकारी - विनियम सूचनाार्थी।
 2. उपजिलाधिकारी - विनियम सूचनाार्थी।
 3. सार्वजनिक कार्यपालक - विनियम सूचनाार्थी।
- युआवजा एवं स्वामित्व सत्यापित कर इस कार्यवाही को प्रेरित करें ताकि भुगतान हेतु कार्यवाही की जा सके।

(*M. K. Singh*)
 अधिकारी/अधीक्षक
 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

13.07.2020
यू.सी. चौधरी/U.C. CHAUDHARY
 वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/Sr. Dy. General Manager
 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD
 800 के.वी. जी.आई.एस., कोटेश्वर
 765/450 KV GIS, KOTESHWAR

संदर्भ संख्या : उ. क्षे. -1 / कोटेश्वर /

दिनांक : 21.07.2020

सेवा में

उप जिलाधिकारी

नरेंद्रनगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

विषय : श्री चतर सिंह पुत्र श्री बादर सिंह के भवन का मुवावजा मिल जाने पर ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में

संदर्भ : 1940/01-पी०ए०-20 नरेन्द्रनगर, दिनांक जुलाई 03, 2020

महोदया,

इस सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि पावरग्रिड के 765 के०वि० कोटेश्वर-मेरठ-2 पारेषण लाइन के टावर संख्या 61-62 के कोरिडोर में स्थित श्री चतर सिंह पुत्र श्री बादर सिंह के भवन का मुवावजा वर्ष 2004 में उनको मिल चुका है जिसे चतर सिंह स्वीकार करते हैं एवं पटवारी रिपोर्ट में भी उल्लिखित है।

श्री चतर सिंह को वर्ष 2004 में पावरग्रिड द्वारा जारी नोटिस में यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि मुवावजा राशि का भुगतान मिलते ही आपको अपना भवन ध्वस्त कर लेना है, भवन ध्वस्त नहीं करने की स्थिति में यदि जान-माल का कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

अतः, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पावरग्रिड के 765 के०वि० कोटेश्वर-मेरठ-2 पारेषण लाइन के टावर संख्या 61-62 के कोरिडोर में स्थित श्री चतर सिंह पुत्र श्री बादर सिंह के भवन को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी पूर्णतया श्री चतर सिंह की ही है। श्री चतर सिंह के विरोध को देखते हुए उक्त भवन को ध्वस्त करने हेतु जिला प्रशासन का सहयोग आवश्यक है।

धन्यवाद।


/21-07-2020

(यू सी चौधरी)

वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक

प्रति : जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल